रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 1973/फाल्गुन 4, 1894
No. 44] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 1973/PHALGUNA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

'CORRIGENDUM'

New Delhi, the 23rd February 1973

No. DRAWBACK/PN-7/73.—In the Public Notice No. 1 published in Part I, section (1) of the Gazette of India Extra Ordinary, dated the 9th February, 1973, the Central Government hereby makes the following corrections in the table published therein:—

For "tool boxes" *read* Tools and tool boxes".

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली 23 फरवरी, 1973

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०-7/73—भारत के दिनांक 9 फरवरी, 1973 के राजपत्र, असाधारण, के भाग 1, खण्ड (1) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं० 1 में प्रकाशित सारणी में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है —

"पुर्जे रखने के बक्से" के स्थान पर "औजार तथा औजार के बक्स" पढ़ा जाय।

No. DRAWBACK/PN-8/73.—In Public Notice No. DRAWBACK/PN-5/73, dated the 9th February, 1973 published in Part I Section (i) of the Gazette of India (Extraordinary), dated the 9th February, 1973, the Central Government hereby makes the following correction in the proviso contained therein:—

After the words "under rule 12 or" the words "benefits under" may be inserted.

B. N. RANGWANI,
Joint Director (Drawback).

सं० प्रतिश्रदायगी /पी० एन०—8/73—भारत के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 9 फरवरी, 1973 के भाग 1 खण्ड (i) में प्रकाशित दिनांक 9 फरवरी, 1973 की सावजनिक सूचना सं० प्रति-श्रदायगी/पी० एन० 5/73 में दिये गये परन्तुक में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

"नियम 12 'शब्द के बाद' के अन्तर्गत छूट प्राप्त नहीं की गई है 'शब्द अन्तःस्थापित किये जांय तथा' 13 के अन्तगत शब्दों के बाद 'छूट का' शब्द निकाल दिये जायं।"

बी० एन० रेगंवानी

संयुक्त निर्देशक (प्रतिश्रदायगी)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973